

**न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर, (म.प्र.)**

प्रकरण क्रमांक / 2017 निगरानी

**निगरानी/विदिशा/क्र.सं/2017/6259**

गनेश राम पुत्र श्री मुंशीलाल आयु 33 वर्ष, जाति सेन, निवासी ग्राम मैहलुआ चौराहा, तहसील कुरवाई जिला विदिशा।

- निगरानीकर्ता

**विरुद्ध**

- 1- अभय कुमार जैन पुत्र श्री गुलाबचंद जैन, व्यवसाय खेती, निवासी हनुमान चौक गंजबासोदा।
- 2- श्रीमती रानी जैन पत्नी श्री अभय कुमार जैन, व्यवसाय खेती, निवासी हनुमान चौक गंजबासोदा, जिला विदिशा (मं.प्र.)

- कण्टेस्टिंग रिस्पोण्डेंट्स

- 3- पूरनसिंह पुत्र श्री मुंशीलाल, आयु 40 वर्ष, जाति सेन निवासी रजोदा रोड, गंजबासोदा, जिला विदिशा।
- 4- कमलसिंह पुत्र श्री मुंशीलाल, आयु 40 वर्ष, जाति सेन निवासी ग्राम मिठेपुर तहसील सिरोंज, जिला विदिशा।
- 5- गुलाबसिंह पुत्र श्री मुंशीलाल, आयु 35 वर्ष, जाति सेन निवासी रजोदा रोड, गंजबासोदा, जिला विदिशा।
- 6- सीताराम गुलाबसिंह पुत्र श्री मुंशीलाल, आयु 30 वर्ष, जाति सेन निवासी रजोदा रोड, गंजबासोदा, जिला विदिशा।

- प्रोफार्मा रिस्पोण्डेंट्स

निगरानी अंतर्गत धारा 50 यू राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 31-10-2017 पारित द्वारा विद्वान अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड कुरवाई तहसील कुरवाई जिला विदिशा, प्रकरण क्रमांक 40/अपील/2016-2017, अभय कुमार आदि बनाम पूरनसिंह आदि। उक्त अपील तहसीलदार कुरवाई के प्रकरण क्रमांक 19/अ-3/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 29-1-2008 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

श्री अविनाश कर्ष द्वारा आज दि. 21-12-17 प्रस्तुत। प्रारंभिक कार्य हेतु दिनांक 9-1-18 नियत।

जज ऑफ कोर्ट 21-12-17 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर


*Avinash Kars*  
Avinash Kars

3

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/6259

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.जी. चिटनिस उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26.12.18 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	